

**Representation of Extra Departmental Delivery Agents, etc.**

660. SHRI BAPURAOJI MAROTRAOJI DESHMUKH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from Extra Departmental Delivery Agents and Extra Departmental Branch Post Masters regarding increase in their salaries and allowances; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Yes, Sir. The P & T Service unions representing Extra Departmental Agents have represented for increase in their allowances. The Agents are part time employees having work load up to 5 hours. Unlike Central Government Employees, they are free to have other avocations in life to supplement their income. The Government have already taken steps to improve the allowances of ED employees. With effect from 1-9-1980 their allowances are being revised once every year. Orders regarding annual revision for the allowances of Extra Departmental Agents with effect from 1-9-1981 have already been issued.

**पटना उच्च न्यायालय में नियुक्तियों**

661. श्री हुसैनदेव नारायण यादव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 14 दिसम्बर, 1981 को राजा सभा में अतारंगित प्रश्न 1935 के दिए गए उत्तर

को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना उच्च न्यायालय में किस-किस संवर्ग में कितने-कितने लोग कार्यरत हैं और उनमें मुसलमानों, हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के कितने लोग हैं; और उनमें इन वर्गों के कितने न्यायाधीश हैं; और

(ख) पटना उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं और उनमें इन वर्गों के कितने न्यायाधीश हैं तथा उन्हें उचित प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री**

(श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) 23 पदस्थ न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीश मुसलमान हैं और एक न्यायाधीश अन्य पिछड़ी जाति का है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ संविधान के मुसगत उपाधों के अनुसार की जाती हैं, जिनमें व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण के लिए उपबन्ध नहीं है। किन्तु सरकार पहले ही राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को जिन में बिहार भी है, पत्र लिख चुकी है जिसमें उनसे आग्रह किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों को उच्च न्यायालयों में और अधिक प्रतिनिधित्व देना संभव बनाया जाना चाहिए।